R.M.M. Law College.
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Subject: Evidence

धारा 91

दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदा

जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या, सम्पत्ति के, या किसी अन्य व्ययन के निबन्धन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिये गये हो तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाये, ऐसी संविदा अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किये जाने के लिये स्वयं, उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिनपूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अन्तर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

अपवाद 1. जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक आफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो और जब यह दर्शित किया गया हो जबकि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे आफिसर के नाते कार्य किया है उस लेख का जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं।

अपवाद 2. जिन विलों का भारत में प्रोबेट लिया है वो प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेगी।

यह धारा उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है तथा उन दशाओं को, जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, समान रूप से लागू होगा।

यदि कोई संविदा कई पत्रों, विनिमय पत्र साबित करना होगा।

किसी विषय को कानून के अनुसार एक दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध करने की अपेक्षा की जाती है।

बचाव में जो बातें उसके विरुद्ध कही हैं उन पर उसकी प्रतिपरीक्षा कर ले।

साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप

किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्न प्रकार से आक्षेप किया जा सकता है ---

उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं।

यह साबित किये जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत ग्रहण के लिये अभ्यर्थना हो जाते हैं। याकि साक्ष्य देने वाला उत्प्रेरणा मिली है।

उसके साक्ष्य के किसी भाग से जिसका खण्डन किया जा सकता है।

कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिये अपात्र घोषित करता है अपने मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताये किन्तु प्रतिपरीक्षा उससे सवाल किया जा सकता हो जो जानकारी हो।